ऑन लाईन न.RCMS20...

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 39/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री केशव कुमार पुत्र श्री तेलुराम अग्रवाल (नमूना विक्रेता)
   मै0 भगवति प्रोविजन स्टोर, तहबाजारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   निवासी– वार्ड नं.11, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री रविशंकर पुत्र श्री रोशनलाल (होलसेलर)
   मै0 ललित ट्रेडिंग कम्पनी, बस स्टेंण्ड के पास सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
   निवासी– वार्ड नं.14, अरोडवंश धर्मशाला के पीछे, सादुलशहर,, जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री धीरजपाल सिंह पुत्र हीरा सिंह (निर्माता)
   मै0 GABROZ PURE PRODUCTS, PLOT NO.99 HISAR ROAD, SIRSA.
4. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री दुर्गादत्त अग्रवाल –निर्माता फर्म के नोमेनी–
   मै0 बाबा रामदेव केम फूड, खसरा नम्बर 73, गांव डिगावडी, तहसील फलौदी जिला जोधपुर
5. निर्माता फर्म – मै0 बाबा रामदेव केम फूड, खसरा नम्बर 73, गांव डिगावडी, तहसील फलौदी जिला जोधपुर द्वारा नोमेनी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री दुर्गादत्त अग्रवाल।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(2)/52

निर्णय **दिनांक : 26.11.2021**

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.03.2020 को दोपहर बाद 2.20 बजे श्री प्रवीण कुमार खत्री, वरिष्ठ लिपिक हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर वास्ते निरीक्षण फर्म**मै0**भगवति प्रोविजन स्टोर, तहबाजारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर केशव कुमार पुत्र तेलुराम अग्रवाल निवासी वार्ड नं.11, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिचय देकर उक्त प्रोविजन स्टोर का निरीक्षण किया तो उपरोक्त प्रोविजन स्टोर में अलमारी में 25 सील्ड **Plastic Pouch**, प्रत्येक 1.0 **Kg** खाद्य पदार्थ **IODIZED SALT (Nafre)** युक्त पाई गई। जिसे उपस्थित ने आमजन को विक्रय हेतु बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **के**–1036 के नमूनीकरण के लिये 1.0 Kg खाद्य पदार्थ **IODIZED SALT (Nafre)** युक्त 4सील्ड **Plastic Pouch** खरीदी जिसकी कीमत 40/– रूपये (अखरे चालीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री प्रवीण कुमार खत्री एवं श्री आत्माराम के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता केशव कुमार पुत्र तेलुराम अग्रवाल एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **IODIZED SALT (Nafre)** के चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के**–1036 एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विकता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक **के**–1036 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येंक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपडी किया और उन पर विकेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया । मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विकेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/684/एक्ट/2020/755 दिनांक 17.04.2020 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1036 IODIZED SALT (Nafre) अमानक स्तर MISBRANDED** खाद्य पदार्थ होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त केशव कुमार पुत्र श्री तेलुराम अग्रवाल **मै0** भगवती प्रोविजन स्टोर, तहबाजारी, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **IODIZED SALT (Nafre)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

26 धारा (2)(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 21.10.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तों केशव कुमार पुत्र तेलुराम अग्रवाल वगैरा ने अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थीगण मण्डल सादुलशहर में एक छोटी सी दुकान कर खाने पीने का सामान बेचकर अपना व अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे है। अप्रार्थी ने जो भी नमक पैकेट बंद खरीदा था, वह हमे हर प्रकार से सही होना बताकर बेचान करने के लिये दिया गया था और हर प्रकार से सही एवं मानक होना जाहिर किया था। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैब जयपुर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.04.2020 में उक्त नमक में किसी भी प्रकार से तय मानकों से गलत नहीं पाया गया, फिर भी यदि नमक में मिसब्राण्ड फाउण्ड पाया गया है तो अप्रार्थीगण का कोई दोष नहीं है। प्रोडेक्ट कम्पनी द्वारा जिस स्थिति में पैंकिग करके भेजा जाता है, उसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आगे बेचान कर दिया जाता है। उक्त नमक के पैकेट कम्पनी से ही सीलबंद आते है एवं सीलबंद ही बेचान कर रहे है। अप्रार्थी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है लेकिन फिर भी अप्रार्थी क्षमा प्रार्थी है। अप्रार्थीगण छोटा सा दुकानदार है और क्षमा प्रार्थी है। अप्रार्थी के खिलाफ उक्त वाद दाखिल दफ्तर किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **IODIZED SALT (Nafre)** का सैम्पल के–1036 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 684/एक्ट/2020/ 755 दिनांक 17.04.2020 द्वारा **MISBRANDED** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 2006 (2)(2)/52** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अप्रार्थीगण मण्डल सादुलशहर में एक छोटी सी दुकान कर खाने पीने का सामान बेचकर अपना व अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे है। अप्रार्थी ने जो भी नमक पैकेट बंद खरीदा था, वह हमे हर प्रकार से सही होना बताकर बेचान करने के लिये दिया गया था और हर प्रकार से सही एवं मानक होना जाहिर किया था। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैब जयपुर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.04.2020 में उक्त नमक में किसी भी प्रकार से तय मानकों से गलत नहीं पाया गया, फिर भी यदि नमक में मिसब्राण्ड फाउण्ड पाया गया है तो अप्रार्थीगण का कोई दोष नहीं है। प्रोडेक्ट कम्पनी द्वारा जिस स्थिति में पैंकिग करके भेजा जाता है, उसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आगे बेचान कर दिया जाता है। उक्त नमक के पैकेट कम्पनी से ही सीलबंद आते है एवं सीलबंद ही बेचान कर रहे है। अप्रार्थी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है लेकिन फिर भी अप्रार्थी क्षमा प्रार्थी है। अप्रार्थीगण छोटा सा दुकानदार है और क्षमा प्रार्थी है। अप्रार्थी के खिलाफ उक्त वाद दाखिल दफ्तर किया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में वर्णित उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् नमूना विक्रेता एवं होल सेलर एफएसएसए 2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आते है तथा मार्केटर एवं निर्माता तक एफएसएसए 2006 की धारा 31(1) के प्रकाश में, **MISBRANDED IODIZED SALT (Nafre)** विक्रय करने पर धारा 26 **(2)(2)/52** के तहत संयुक्त रूप से शास्ति 25000/–रूपये (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **IODIZED SALT (Nafre)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **IODIZED SALT (Nafre)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर